शीर्ष प्राथमिकता

संख्या-३२५ /6-मा0-2-2026/6-21099(099)/47/2026

प्रेषक,

संजय प्रसाद,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. महासचिव,
मा0 उच्चतम् न्यायालय,
नई दिल्ली।

2. महानिबंधक,
मा0 उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

3. अवर सचिव,
विधि एवं न्याय मंत्रालय,
न्याय विभाग, भारत सरकार,
नई दिल्ली।

4. प्रमुख सचिव,
न्याय एवं विधि परामर्शी,
उ0प्र0 शासन।

गृह(मानव अधिकार) अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांकः 15 सितम्बर, 2026

विषय- उ0प्र0 मानव अधिकार आयोग, लखनऊ में रिक्त मा0 अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति हेतु पैनल उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि उ0प्र0 मानव अधिकार आयोग, लखनऊ में मा0 न्यायमूर्ति श्री बाल कृष्ण नारायण, मा0 अध्यक्ष के 03 वर्ष की अवधि पूर्ण करने के फलस्वरूप दिनांक 05.06.2024 को रिक्त हो गया है, जिस पर चयन की कार्यवाही की जानी है।

2- उल्लेखनीय है कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (यथोसंशोधित 2019) की धारा-21(2)(क) में यह प्राविधान है कि राज्य मानव अधिकार आयोग में एक अध्यक्ष, जो किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति या न्यायाधीश रहा है तथा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (यथोसंशोधित 2019) की धारा-24(1) में यह प्रावधान है कि अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति, अपने पद ग्रहण की तारीख से तीन वर्ष की अवधि तक या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो, अपना पद धारण करेगा और वह पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया राज्य सरकार द्वारा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (यथोसंशोधित 2019) की धारा-21(2)(क) में विहित प्राविधानानुसार सत्तर वर्ष से कम आयु वाले उक्त पद पर नियुक्ति के लिए इच्छुक मा0 उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मा0 मुख्य न्यायाधीशों

के नामों का एक पैनल, उनकी उपलब्धता एवं सहमति सहित शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Digitally signed by
SANJAY PRASAD
Date: 15-09-2026 13:17:58

(संजय प्रसाद)
अपर मुख्य सचिव।

महत्वपूर्ण/फैक्स

संख्या-326/6-मा0-2-2026/6-21099(099)/47/2026

प्रेषक,

संजय प्रसाद,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

(1) प्रमुख सचिव,
न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तर प्रदेश शासन ।

(2) महानिबंधक,
मा0 उच्च न्यायालय
इलाहाबाद ।

गृह(मानव अधिकार) अनुभाग- 2 लखनऊ, दिनांकः 15 सितम्बर, 2026

विषय- उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग, लखनऊ में रिक्त मा0 सदस्य के पद पर नियुक्ति हेतु पैनल उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अवगत कराना है कि उ0प्र0 राज्य मानवाधिकार आयोग, लखनऊ में नियुक्त न्यायिक सदस्य, मा0 न्यायमूर्ति श्री राजीव लोचन मेहरोत्रा के दिनांक 11.06.2026 को सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप रिक्त पद पर न्यायिक सदस्य का चयन किया जाना है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त के क्रम में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम,1993 (यथा संशोधित 2019) की धारा-21 में विहित प्राविधानानुसार, रिक्त न्यायिक सदस्य के रूप में एक सदस्य के चयन हेतु 70 वर्ष से कम आयु (उम्र) वाले, उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक मा0 उच्च न्यायालय में कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त मा0 न्यायाधीशों एवं राज्य में कम से कम 07 वर्ष तक जिला न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो, को अद्यतन नामों का पैनल/सूचना एवं उनकी सहमति/अनुमति बायोडाटा सहित शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही की जा सके।

Digitally signed by
SANJAY PRASAD
Date: 15-09-2026 13:18:38

भवदीय,

(संजय प्रसाद)
अपर मुख्य सचिव।